मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल–462 016

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005

क्रमांकः2559/म.प्र.वि.नि.आ/2005 – विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 1999 – म.प्र.वि.नि.आ – 2004 दिनांक 23 जुलाई, 2004 द्वारा अधिसूचित वितरण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) की अनुज्ञप्ति शर्तें, 2004 में निम्नानुसार परिवर्धन करता है।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) की अनुज्ञप्ति शर्तें, 2004 में परिवर्धन

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

(i) इन शर्तों को '' **वितरण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) की अनुज्ञप्ति शर्तों में परिवर्धन, 2005 (प्रथम संशोधन) (क्रमांक ए जी–12 (i) वर्ष 2005) कहा जावेगा।**

(ii) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगी।

(iii) इन शर्तों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) की अनुज्ञप्ति शर्तें, 2004 जिसे इसके आगे प्रमुख शर्ते कहा जावेगा, उप–अनुच्छेद 10.2 के अन्त में निम्न पैरा जोड़ा जावे, अर्थात :–

''(ग) विनिधान स्कीम के अन्तर्गत वार्षिक विनिधान स्कीम प्रत्येक प्रस्तावित कार्य का प्रणाली में सुधार तथा वित्तीय बचत से संबंधित हानियों में कमी मय उनकी अदायगी अवधि के अनुरूप लागत लाभ विश्लेषण भी दर्शायेगी। स्कीम में व्यक्तिगत तथा समूह मीटरिंग में किये जाने वाला प्रस्तावित व्यय सुस्पष्ट रूप से आदिष्ट किया जावेगा।''

प्रमुख शर्तों के उप अनुच्छेद 15.4 के अन्त में, निम्न पैरा जोड़ा जावे, अर्थात :–

''15.5 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 53 के उपबन्धों के अन्तर्गत, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट सुरक्षा विनियमों का परिपालन करेगा। ''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उपसचिव

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल–462 016

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005

क्रमांक:2560/म.प्र.वि.नि.आ/2005 – विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 1998 – म.प्र.वि.नि.आ – 2004 दिनांक 23 जुलाई, 2004 द्वारा अधिसूचित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (डीम्ड लायसेंसी सहित) के पारेषण अनुप्ति की शर्तों में परिवर्धन करता है।

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (डीम्ड लायसेंसी सहित) के पारेषण अनुप्तिधारी की शर्तों में परिवर्धन

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(i) इन शर्तों को ''**पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (डीम्ड लायसेंसी सहित) के पारेषण अनुज्ञप्ति की शर्तों में परिवर्धन, 2005 (द्वितीय संशोधन)(क्रमांक एजी–11 (ii) वर्ष 2005)**'' कहा जावेगा।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू मानी जावेंगी।

(iii) इन शर्तों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (डीम्ड लायसेंसी सहित) के पारेषण अनुज्ञप्ति की शर्तों में उप–अनुच्छेद 15.2 के अन्त में निम्न उप अनुच्छेद जोड़ा जावे, अर्थात :–

''15.3 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 53 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट सुरक्षा विनियमों का परिपालन करेगा।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उपसचिव